न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2017 G.C.M.S. No. 2017/00373 दर्ज दिनांक : 29.06.2017

अपीलार्थी:

1. प्रतापसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति राजपूत, निवासी सोनाई मांझी, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रतनसिंह पुत्र विजयसिंह, जाति राजपूत, निवासी सोनाई मांझी, तहसील व जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 622/2015 बअनवान रतनसिंह बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः 26.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 622/2015 बअनवान रतनसिंह बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या एक ने अपीलाण्ट के विरुद्ध एक वाद धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया था कि ग्राम सोनाई मांजी के खसरा नम्बर 454, 454/8, 454/9, 163 की खातेदारी भूमि स्थित है, जिसमें दोनों का आधा–आधा हिस्सा है, भौतिक रूप से बंटवाड़ा नहीं हुआ है। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जावें। उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया। दिनांक 15.06.2016 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सोनाई मांजी में पेश होना बताते हुए अपीलाण्ट की उपस्थिति बताकर पत्रावली जवाबदावा हेतु इल्तवा की और दिनांक 21.09.2016 को अपीलाण्ट की ओर से उपस्थिति नहीं दिए जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित किया और पत्रावली साक्ष्य बादी में नियत की जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई। विधिनुसार अपीलाण्ट पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सम्मन की तामील नहीं हुई, न ही वादपत्र की प्रति अपीलाण्ट को भेजी गई। दिनांक 15.06.2016 को राजस्व कैम्प में अपीलाण्ट की उपस्थिति बताई गई, वह लोक अदालत के संबंध में उपस्थिति बताई गई थी, उसी दिन न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि लोक अदालत के द्वारा फैसला नहीं होता है तो प्रकरण में विधिवत रूप से अपीलाण्ट को सम्मन मय वादपत्र की नकल पेश की जावेगी, लेकिन बिना कोई नकल प्रेषित किए ही दिनांक 21.02.2016 को अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि अपीलाण्ट को विधिवत रूप से साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वादपत्र में सम्मन द्वारा तामील होना आज्ञापक है, सम्मन के साथ वादपत्र की नकल होना भी आज्ञापक है। आज दिनांक तक वादपत्र की नकल अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई हैं। वादपत्र की नकल के अभाव में सम्मन की तामील भी विधिवत रूप से तामील नहीं मानी जा सकती है और ऐसी तामील के आधार पर एकपक्षीय आदेश किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं रहता है। प्रकरण में उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट को विरासत में पिताजी से फौतेदगी म्यूटेशन के जरिए प्राप्त हुई हैं। चूंकि अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट के अलावा 2 सगी बहने फुलकंवर व छैलकंवर भी हैं। चूंकि पिताजी की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी के चारों ही वारिस जीवित थें, इस कारण से फौतेदगी म्यूटेशन के जरिए चारों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। विधिवत रूप से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ है। इसी का फायदा उठाकर रेस्पोंडेण्ट बिना अपीलाण्ट को विधिवत रूप से सम्मन की तामील करवाए ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाए हैं। इसके साथ ही मौके पर भूमि पहले से ही विभाजित है। एक बार विभाजन होने के बाद विधिनुसार विभाजन एक्ट अपोन होने के बाद पुनः विभाजन कान तो वाद पेश हो सकता है, न ही विभाजन किया जा सकता है ऐसी स्थिति में भूमि पूर्व से ही मौके पर विभाजित होने से उपरोक्त वाद विभाजन का विधिक रूप से पोषणीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 23.06.2017 को हुई, जब हल्का पटवारीजी द्वारा बताया गया कि मौका का नापचौक कर विभाजन की कार्यवाही करनी हैं, जिस पर अपीलाण्ट को हैरानी हुई और अपीलाण्ट ने जानकारी की तो बताया कि अपीलाण्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की हैं। जिस पर उसी दिन निर्णय की नकलों हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 27.06.2017 को प्राप्त हुई, जिसे अधिवक्ता महोदय को बताया तो उनके द्वारा बताया गया कि प्राथमिक डिक्री की भी नकल की आवश्यकता रहेगी, तब पुनः दिनांक 28.06.2017 को नकलों हेतु आवेदन किया, जहां से नकलें आवश्यक रूप से उसी दिन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त की गई एवं उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादी द्वारा अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 13.06.2017 को निर्णय व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।
2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट रतनसिंह द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी को समान हिस्से का खातेदार मानते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की गई। लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलांट फुलकंवर व छैलकंवर द्वारा खातेदार रतनसिंह व प्रतापसिंह के विरूद्ध जिला कलक्टर पाली में प्रस्तुत नामांतरण अपील संख्या 100/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2021 के अनुसार मृतक विजयसिंह का नामांतरण स्वीकृत करते समय केवल दो पुत्रों रतनसिंह व प्रतापसिंह का नामांतरण स्वीकृत किया गया। जबकि जायंदा पुत्रियां फुलकंवर व छैलकंवर का नाम दर्ज नहीं किया गया। जो आरंभतः शून्य होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण नियमानुसार विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरण दर्ज किए जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया। अतः ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार समान हिस्से के खातेदार नहीं रहें। इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी से जवाबदावा लिए बिना तथा जवाबदावा का अवसर दिए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना तथा पत्रावली में कोई राजीनामा निष्पादित होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।
3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– "No Order

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री से पूर्व पक्षकारान को आगामी तारीख पेशी की सूचना/नोटिस दिए बिना प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखने, अपीलांट प्रतिवादी को जवाबदावा व साक्ष्य का अवसर दिए बिना, पक्षकारान की सहमति, राजीनामा नहीं होने के बावजूद प्रकरण लोक अदालत कैम्प में रखकर निर्णित कर देने तथा ऐसा निर्णय/आदेश विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 20 से बाधित होने के कारण अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 622/2015 बअनवान रतनसिंह बनाम प्रतापसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के अद्यतन भू–अभिलेख में अभिलिखित समस्त सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित करवाते हुए, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए जवाबदावा व साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर पाली में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **26.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner